फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोपाल उर्फ भभूता **विपक्षी : श्री मोहन**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 132/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 02.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 2 वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री गोपाल उर्फ भभूता का पेश किया। अतः प्रकरण में वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार नहीं होते हुए भी वादी के कब्जे काश्त में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण को रोका नहीं जाता है तो वादी खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जवानजी का खेडा पटवार हल्का गादोली की आराजी नम्बर 110, 111 किता 2 रकबा 0.3561 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 2 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, न ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:20:40 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S

उनवान

1. श्री गोपाल उर्फ भभूता पिता धरमा मीणा निवासी गणघोरकलां खरपीणा हाल युनिवरसिटी रोड पायडा तह. गिर्वा।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहन पिता अमरा भील निवासी जवान जी का खेडा तह. मावली।
2. श्री लोगर पिता अमरा भील निवासी जवान जी का खेडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 132/21 (वाद) GCMS No. – 2021/265

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जवानजी का खेडा पटवार हल्का गादोली की आराजी नम्बर 110, 111 किता 2 रकबा 0.3561 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 2 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, न ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:20:40 IST
Reason: SelfAttested